

FAX

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक प. 9 (2) शिक्षा-5/मा.प्रारम्भ/2005 पार्ट
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

जयपुर दिनांक 23-7-15

(E) 29/7/15

विषय :- निजी शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा सत्र 2015-16 में कक्षा 6 से 8 तक की मान्यता नियमों में शिथिलन दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी-एफ/4111/आदर्श विद्यालय/रास/ईएम/2015 दिनांक 21.7.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, की अनुराधा पर निम्नांकित निजी शिक्षण संस्थाओं को सत्र 2015-16 में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की मान्यता देने के नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए इस विभाग के पत्र क्रमांक प.9 (2) शिक्षा-5/2005 पार्ट दिनांक 05.07.2013 के अनुसार कक्षाये प्रारम्भ करने हेतु आधारभूत सुविधाएँ, शैक्षणिक स्टान्ड, संसाधन एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करती हो, की शर्तों पर तथा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त रु. 20,000/- (अक्षरों रूपये बीस हजार मात्र) जमा कराये जाने की स्थिति में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा भिजवाई गयी निम्न विद्यालयों की मान्यता संबंधी मूल पत्रावली लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को अविलम्ब इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें :-

1. इण्डिया इन्टरनेशनल स्कूल, आई.एस.आई, 11 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, सीतापुरा, सांगानेर, जयपुर।
2. दिव्य टेक्नो स्कूल, पी.आई.टी.कैम्पस, सेक्टर-36 एन.आर.आई.रोड, जगतपुरा जयपुर।
3. सेंट जेवियर्स स्कूल, नेवटा महापुरा रोड, सांगानेर, जयपुर।
4. लक्की इन्टरनेशनल स्कूल, जोधपुर।

भवदीय,

(नसीरुद्दीन कुरैशी)

प.शासन उप सचिव

सस/2139

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार) शिक्षा जयपुर (राज)।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रार) शिक्षा, जोधपुर (राज)।
4. रक्षित पत्रावली

(अरोक कुमार गंगी)
लेखाधिकारी

VIVEK TECHNO SCHOOL

Managing Director

PRINCIPAL
Vivek Techno School
Jodhpur

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) जयपुर
कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक: 184 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा निम्न संस्था को सत्र 2015-16 हेतु कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता जारी की गयी थी। राज्य सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक: प0 9(2) शिक्षा-5/माप्राउप्रा/2005/पार्ट जयपुर दिनांक 29.07.2015 एवं निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक: शिविरा/प्रार/शैक्षिक/ सी-एफ/मूल मान्यता/2015-16 दिनांक 30.07.2015 की अनुपालना में संस्था द्वारा किये गये आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क राशि 20,000/-रु0 (अक्षरे बीस हजार रु0) का डी.डी. निर्धारित समय पर जमा करवाये जाने पर सत्र 2015-16 से कक्षा 1 से 5 तक दी गयी मान्यता को क्रमोन्नत करते हुये इसी सत्र से कक्षा 6 से 8 तक की एक साथ संस्था चलाने की स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं।

क्र०सं०	संस्था का नाम पता	डी०डी० संख्या व दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	विवेक टेक्नो स्कूल, वीआईटी कैम्पस, दांतली सेक्टर-36, एनआरई रोड, जगतपुरा, जयपुर	100264/06.08.2015	एसबीबीजे शिक्षा संकुल	20,000/-

शेष शर्तें पूर्व आदेशानुसार रहेंगी।

31/-
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर
दिनांक : 8/8/15

- क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/जय/सामा-5/फा-मान्यता/2015/31।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है :-
1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
 2. निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
 3. संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
 4. संबंधित संस्था प्रधान
 5. रक्षित पत्रावली।



PRINCIPAL
Vivek Techno School
Jipur



जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर

VIVEK TECHNO SCHOOL

Managing Director